

मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का आधार नम्बर	
आवेदक/परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या	

प्रार्थी का
फोटो
(पासपोर्ट
साईज)

I	1.	प्रार्थी का नाम		☒ किसी भी एक साक्ष्य पर सही का निशान लगावे और उससे संबंधित दस्तावेज संलग्न करे :-	
	2.	पिता/माता/पति/संरक्षक का नाम		क. सं.	साक्ष्य
	3.	वर्तमान स्थायी पता		1.	राजस्थान में पैदा हुआ हो और उसके माता-पिता इस राज्य के मूल निवासी हो
	4.	पिता/माता/पति/संरक्षक का मूल स्थान			☐ माता/पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/ अन्य फोटो पहचान पत्र या
	5.	पिता/माता/पति/संरक्षक का व्यवसाय			☐ लगातार 10 वर्षों के बिजली/पानी/टेलीफोन के बिल(प्रत्येक वर्ष का एक-एक) व चुनाव पहचान पत्र /पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/ अन्य फोटो पहचान पत्र या
	6.	जन्म स्थान			☐ 10 वर्षों के लगातार शिक्षण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र /पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/ अन्य फोटो पहचान पत्र
	7.	जन्म दिनांक			
	8.	आपने किस कक्षा तक और कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की :-		2.	उसका या उसके माता-पिता का राजस्थान में 10 वर्ष या अधिक वर्षों से मकान हो और यदि उनका मकान कहीं अन्यत्र हो तो वे राजस्थान हो यह राज्य के रूप में अंगीकृत करते हो,
		शिक्षण संस्थान का नाम	स्थान		☐ माता/पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/ अन्य फोटो पहचान पत्र या
		कक्षा 1 से 9			☐ लगातार 10 वर्षों के बिजली/पानी/टेलीफोन के बिल(प्रत्येक वर्ष का एक-एक) व चुनाव पहचान पत्र /पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/ अन्य फोटो पहचान पत्र या
		10 वीं			☐ 10 वर्षों के लगातार शिक्षण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र /पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/ अन्य फोटो पहचान पत्र
		12 वीं			
		स्नातक			
		स्नातकोत्तर			
		अन्य			
	9.	स्वयं/पिता की अचल सम्पत्ति का विवरण मय स्थान		3.	यह या उसके माता-पिता 10 वर्षों या अधिक से किराये के मकान में रह रहा हो/रहे हो और उसे सिद्ध करने हेतु किरायानामा प्रस्तुत किया जा सकेगा।
	10.	क्या मतदाता सूची में स्वयं का/पिता/पति का नाम है ?	हां/नहीं		☐ माता/पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/ अन्य फोटो पहचान पत्र
	11.	आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहा है ?			☐ लगातार 10 वर्षों का किरायानामा व चुनाव पहचान पत्र/ अन्य फोटो पहचान पत्र /पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस
	12.	मोबाईल नंबर (स्वयं का या अन्य का जिस पर प्रार्थी आवेदन से संबंधित सूचना चाहता है)			☐ 10 वर्षों के लगातार शिक्षण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र /पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/ अन्य फोटो पहचान पत्र
II	महिला के लिए :-				
	1.	क्या आप विवाहित/तलाकशुदा/विधवा हैं ?		4.	उन महिलाओं की दशा में जो राजस्थान की मूल निवासी नहीं हैं और ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेती हैं जो राजस्थान का मूल निवासी हैं और जो अपने पति के साथ राजस्थान में रहती हैं। सामान्यतया राजस्थान का मूल निवासी मान ली जायेगी चाहे उसके राजस्थान में अपने 10 वर्ष के निवासी की शर्त पूरी न की हो।
	2.	आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ ?		5.	राज्य सरकार या राजस्थान सरकार के राजकीय उपक्रम में तीन वर्ष से स्वयं या उसके माता-पिता कार्यरत हो। (उक्त साक्ष्य अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र (TSP)के लिए लागू नहीं होगा।)
	3.	क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी हैं ?			☐ पति का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/ अन्य फोटो पहचान पत्र तथा विवाह प्रमाण पत्र
	4.	आप अपने पति के साथ कब से एवं किस स्थान पर रह रही हैं ?			☐ पिता/पति के राजकीय उपक्रम में 03 वर्ष पदस्थापित रहने का प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/ अन्य फोटो पहचान पत्र

मैं तसदीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है। (मुझे इस तथ्य की पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्धदण्ड से दण्डनीय है।)

दिनांक :

स्थान :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा सत्यापन

- (1) मैंपुत्र/पुत्री/पत्नीनिवासी.....
राजकीय सेवा पद पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि
प्रार्थी/प्रार्थीया श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री
निवासीको भली भाँति जानता हूँ यह वर्षों से उक्त निवास जिला
.....राजस्थान में निवास कर रहा/रही है।

दिनांक

(हस्ताक्षर प्रथम उत्तरदायी व्यक्ति)

- (2) मैंपुत्र/पुत्री/पत्नीनिवासी.....
राजकीय सेवा पद पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि
प्रार्थी/प्रार्थीया श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री
निवासी को भली भाँति जानता हूँ यह वर्षों से उक्त निवास जिला
राजस्थान में निवास कर रहे/रही है।

दिनांक

(हस्ताक्षर प्रथम उत्तरदायी व्यक्ति)

नोट :- आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज भी संलग्न करें :-

1. आवेदक के दो नवीनतम फोटो जिसमें से एक फोटो आवेदन पत्र पर चिपकाएँ (स्टेपल नहीं करें) तथा दूसरी फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
2. संबंधित शपथ-पत्र (शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।)
3. साक्ष्य के अनुसार जो साक्ष्य लागू हो उससे संबंधित दस्तावेज।
4. उत्तरदायी व्यक्ति (संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम सदस्य, अराजपत्रित कर्मचारी, बीट प्रभारी (पुलिस) का प्रमाण पत्र जिस उसकी मोहर या राजकीय सेवा का पहचान पत्र।

दस्तावेजों का विवरण:-

क्र.सं	दस्तावेज का प्रकार	दस्तावेज का सीरियल/रेफरेन्स नम्बर
1.	राशन कार्ड	
2.	बिजली का बिल (के नम्बर)	
3.	जाति प्रमाण पत्र	
4.	मूल निवास प्रमाण पत्र	
5.	जमाबन्दी	
6.	अन्य.....	

(शपथ—पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।)

शपथ पत्र

(नाबालिग होने की दशा में)

मैं, पुत्र/पुत्री श्री निवासी.....

..... राजस्थान का हूँ व सशपथ बयान करता/करती हूँ कि :-

01. यह है कि मैं का मूल निवासी हूँ।
02. यह है कि मैं वर्तमान में उक्त पते पर निवास कर रहा हूँ।
03. यह है कि मेरी समस्त शिक्षा की है।
04. यह है कि मैंने अभी अपना मूल निवास प्रमाण—पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनावाया है।
05. यह है कि मैं यह सशपथ पत्र अपना मूल निवास प्रमाण—पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही हैं ईश्वर मेरा साक्षी है।

दिनांक

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

शपथ पत्र

(नाबालिग होने की दशा में)

मैं, पुत्र/पुत्री श्री निवासी.....

..... राजस्थान का हूँ व सशपथ बयान करता/करती हूँ कि :-

- 1- यह है कि मैं का मूल निवासी हूँ।
- 2- यह है कि मेरा/मेरी पुत्र/पुत्री है, जो नाबालिग है इस कारण से यह शपथ पत्र मे अपनी और से पेश कर रहा हूँ जिसकी आयु करीबन वर्ष है।
- 3- यह है कि मेरे उक्त पुत्र/पुत्री का जन्म में ही हुआ है।
- 4- यह है कि मेरा पुत्र/पुत्री की शिक्षा का अध्ययन भी कर रहा है।
- 5- यह है कि मैंने उपरोक्त का मूल निवास प्रमाण—पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनावाया है।
- 6- यह है कि मेरे को अपने पुत्र/पुत्री का मूल निवास प्रमाण—पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही हैं ईश्वर मेरा साक्षी है।

दिनांक

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

शपथ पत्र

(विवाहित महिलाओं के लिए)

मैं, पत्नी श्री निवासी

..... राजस्थान की हूँ व सशपथ बयान करती हूँ कि :-

01. यह कि मैं विवाह पश्चात उपरोक्त पते पर निवास करती हूँ।
02. यह है कि मेरे पति श्री राजस्थान के मूल निवासी हैं।
03. यह है कि मैंने अभी अपना मूल निवास प्रमाण—पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनावाया है।
04. यह है कि मैं यह सशपथ पत्र अपना मूल निवास प्रमाण—पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही हैं ईश्वर मेरा साक्षी है।

दिनांक

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

जांच प्रतिवेदन-पत्र

श्री पुत्र श्री जाति
निवासी ग्राम तहसील जिला (राजस्थान)

द्वारा मूल निवास प्रमाण-पत्र चाहने के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर जांच करने पर निम्न रिपोर्ट प्रस्तुत है—

1. प्रार्थी अथवा उसके पिता के नाम आरजी खसरा नम्बर
रकबा भूमि दाक ग्राम में कृषि खातेदार
गैर खातेदार मालिक सम्बन्ध से है ।
2. प्रार्थी का नाम वोटर लिस्ट की क्रम संख्या भाग संख्या पर दर्ज है ।
3. प्रार्थी अथवा उसके पिता के निम्न अचल सम्पत्ति वर्ष में है तथा इस पर सरकारी
कोई राशि बकाया नहीं है । यदि है तो विवरण देवे ।
4. प्रार्थी ने प्राथमिक शिक्षा कक्षा में राजकीय विद्यालय
का नाम से अध्ययन कर प्राप्त की है ।
5. प्रार्थी अथवा उसके पिता नाम खुद का एवं किराये का मकान
नगर पालिका की सूची क्रम संख्या में दर्ज है ।
6. प्रार्थी अथवा उसके पिता निम्न व्यवसाय वर्ष में ग्राम, शहर या कस्बा
में कर रहे हैं ।
7. प्रार्थी के पास मूल निवासी स्थान प्रमाण-पत्र सम्बन्धी अन्य साक्ष्य
उक्त आधार पर जांच से यह पाया गया कि श्री
पुत्र श्री जिला निवासी ग्राम
तहसील जिला राजस्थान का मूल निवासी है ।

हस्ताक्षर प्रमाणितकर्ता
पत्र एवं मोहर सहित